कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश
विंध्याचल भवन भोपाल

क्रमांक / साख / एपी / 2016 / 2022 भोपाल, दिनांक 3-8-2016

आदेश

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 की धारा 55(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं मनीष श्रीवास्तव, पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल के सेवायुक्तों के (नियोजन, निबन्धन तथा कार्यस्थिति) सेवा नियम क्रमांक 7.1.1 में संलग्न परिशिष्ट अनुसार संशोधन प्रतिस्थापित करता हूँ।

उक्त आदेश आज दिनांक 3/8/16 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(मनीष श्रीवास्तव)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं म.प्र.

क्रमांक / साख / एपी / 2016 / 2022 भोपाल, दिनांक 3-8-2016

प्रतिलिपि,

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री, सहकारिता म.प्र. शासन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल।
5. राजपत्रित अधिकारी, (समस्त) मुख्यालय भोपाल।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

पंजीयक
सहकारी संस्थाएं म.प्र.

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. स्था/एपी/20, दिनांक 3-8-2016 से जारी किया गया

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, मुख्यालय भोपाल के सेवानियम में संशोधन

बैंक कर्मचारी सेवानियम कमांक 7 में प्रस्तावित संशोधन

क्र.	सेवानियम कमांक	कंडिका	वर्तमान प्रावधान	संधोधित प्रावधान	संशोधन का कारण/रिमार्क
	7.1		**कमोन्नति (समयमान वेतनमान)**	**कमोन्नति (समयमान वेतनमान)**	
		7.1.1	ऐसे सेवायुक्त जिन्होने 10 वर्ष या उससे अधिक का कार्यकाल अपने वर्तमान पद पर रहते हुए पूर्ण कर लिया है उन्हें ठीक अगले उच्च पद के लिए निर्धारित वेतनमान/समयमान वेतनमान, इस हेतु नियत सक्षम समिति के द्वारा निम्नानुसार दिया जा सकेगा – (1) ऐसे सेवायुक्त जिन्होने 10 वर्ष या उससे अधिक का कार्यकाल अपने वर्तमान पद पर रहते हुए पूर्ण कर लिया है और इस दौरान किसी प्रकार की पदोन्नति/समयमान वेतनमान/चयन या श्रेणी प्रोन्नति प्राप्त नहीं हुई है ऐसी स्थिति में उन्हे ठीक अगले उच्च पद के लिए निर्धारित वेतनमान/समयमान वेतनमान को प्राप्त करने की पात्रता होगी। (2) इस योजना के अधीन सेवायुक्त तभी पात्र होगा, जबकि उसकी पिछली 5 वर्षो की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में विपरीत टीप अंकित न हो **एवं विपरीत टीप होने पर संसूचित होकर अभ्यावेदन 60 दिवस में**	यथावत यथावत यथावत	शासन की नीति अनुसार 30 वर्ष की सेवा अवधि में तृतीय क्रमोन्नति (समयमान) दिये जाने बावत्।

निरन्तर–

क्र.	सेवानियम कमांक	कंडिका	वर्तमान प्रावधान	संधोधित प्रावधान	संशोधन का कारण/रिमार्क
			निराकृत हो।		
			(3) वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति, जिसमें बैंक के महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक एवं सहायक महाप्रबंधक (कार्मिक) सदस्य होंगे, के द्वारा पात्र सेवायुक्तों के नाम अनुशंसित किये जायेंगे, जिसकी अंतिम अभिस्वीकृति स्टाफ उपसमिति/**विशिष्ट अधिकारी समूह उप समिति** के द्वारा दी जायेगी ।	**यथावत**	
			(4) सेवायुक्तों को उच्चतर/समयमान वेतनमान के आदेश जारी करने के लिये बैंक के प्रबंध संचालक सक्षम अधिकारी होगें।	**यथावत**	
			(5) सेवायुक्तों को उच्चतर/समयमान वेतनमान अनुज्ञेय होने पर निर्धारित प्रकिया के अनुरूप वेतन निर्धारण किया जायेगा ।	**यथावत**	
			(6) अगला उच्चतर/समयमान वेतनमान देने के लिये, प्रत्येक वर्ष वरिष्ठ अधिकारियों की उक्त समिति की बैठक आयोजित की जायेगी और समिति के अधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर तथा स्टाफ उप समिति/**विशिष्ट अधिकारी समूह उप समिति** के अनुमोदन से आदेश जारी किये जायेगें ।	**यथावत**	
			(7) अगला उच्चतर/समयमान वेतनमान देने से सेवायुक्त की श्रेणी (पदनाम) में कोई प्रभाव/परिवर्तन	**यथावत**	

निरन्तर —

क्र.	सेवानियम कमांक	कंडिका	वर्तमान प्रावधान	संधोधित प्रावधान	संशोधन का कारण/रिमार्क
			नहीं होगा ।		
			(8) बैंक के सेवायुक्त जिन्होंने 20 वर्ष से अधिक की सेवाएँ पूर्ण कर ली हैं, लेकिन केवल एक पदोन्नति/समयमान वेतनमान/श्रेणीप्रोन्नति प्राप्त हुयी है, अगले उच्चतर/समयमान वेतनमान के लिये पात्र होंगे।	**यथावत**	
			(9) लेकिन यह कि ऐसे सेवायुक्त जिन्होने एक ही श्रेणी में 20 वर्ष से अधिक की सेवाएँ पूर्ण कर ली है और किसी भी पदोन्नति/समयमान वेतनमान/श्रेणीप्रोन्नति से लाभान्भित नहीं हुए हैं, अगले दो उच्चतर/समयमान वेतनमान के लिये पात्र होंगे।	**यथावत**	
			(10) कमोन्नति हेतु उच्च वेतनमान **अनुसूची–"8"** पर है।	(10) बैंक के सेवायुक्त जिन्होंने 30 वर्ष से अधिक की सेवाएँ पूर्ण कर ली हैं, लेकिन केवल दो पदोन्नति/समयमान वेतनमान/श्रेणी प्रोन्नति प्राप्त हुयी है, अगले उच्चतर/समयमान वेतनमान के लिये पात्र होंगे। (11) लेकिन यह कि ऐसे सेवायुक्त जिन्होने एक ही श्रेणी में 30 वर्ष से अधिक की सेवाएँ पूर्ण कर ली है	

निरन्तर-

क्र.	सेवानियम कमांक	कंडिका	वर्तमान प्रावधान	संधोधित प्रावधान	संशोधन का कारण/रिमार्क
				और किसी भी पदोन्नति/समयमान वेतनमान/श्रेणीप्रोन्नति से लाभान्भित नहीं हुए हैं, अगले तीन उच्चतर/समयमान वेतनमान के लिये पात्र होंगे। (12) कमोन्नति हेतु उच्च वेतनमान **अनुसूची–8 (ए)** पर है।	
		7.1.2	जब कोई सेवायुक्त उसके द्वारा वर्तमान में धारित पद से उच्च पद के कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन करने के लिए कार्यवाहक अथवा स्थायी आधार पर पदोन्नत या नियुक्त किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में उसका मूलवेतन, उसके द्वारा वर्तमान में वास्तविक आहरित किए जा रहे वेतन में एक वेतनवृद्धि जोड़ने के पश्चात् उच्च पद के वेतनमान में काल्पनिक गणना के पश्चात् अगले वेतन स्तर पर निर्धारित होगा। यदि कोई सेवायुक्त पदोन्नत पद के समतुल्य समयमान वेतनमान प्राप्त कर रहा है, तो पदोन्नति पर पृथक से वेतन निर्धारण की आवश्यकता नहीं होगी।	यथावत	

अनुमोदित

3/8/16.

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल के सेवायुक्त के (सेवायुक्तों के नियोजन, निबन्धन तथा कार्यस्थिति) सेवानियम

सेवानियम क्रमांक 7.1.1

शीर्ष बैंक सेवायुक्तों के लिये क्रमोन्नति वेतनमान

Group/Category/Designation	Scale	Time Scale I	Time Scale II	Time Scale III
" C" (Sub -ordinate staff) -				
i. Peon/ Chowkidar/Guards	7200-17250	8580-21320	9360-22470	10950-23980
ii. Liftman/Plumber	8580-21320	9360-22470	10950-23980	11600-24060
iii.Jamadar/Driver/Electrician	9360-22470	10950-23980	11600-24060	13490 -26390
"B" (Banking Assistant)				
i. Junior Assistant	10950-23980	11600-24060	13490 -26390	17500-32020
ii. General Assistant/Asstt. Account Officer	11600-24060	13490 -26390	17500-32020	21800-35280
"A" (Management cadre)				
i. Account Officer	13490 -26390	17500-32020	21800-35280	25270- 39550
ii. Assistant Manager	17500-32020	21800-35280	25270- 39550	27990 -41790
iii. Deputy Manager	21800-35280	25270- 39550	27990 -41790	31670-45430
iv. Manager	25270- 39550	27990 -41790	31670-45430	32410-47670

अनुमोदित

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश